IV 71/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

ICIAL

उत्तर प्रदे

BK 120204

(1)

शान्ति शिक्षा संस्थान ट्रस्ट

ग्राम–फरीदहाँ, पोस्ट–खानपुर, तहसील–सैदपुर जिला–गाजीपुर

न्यास विलेख

जनरल स्टाम्प 950 / रु0

यह न्यास विलेख आज सैदपुर, जनपद गाजीपुर में **श्री भुल्लन यादव पुत्र श्री शिव यादव** ग्राम–**बभनौली कला**, पोस्ट–**रामपुर**, परगना–**खानपुर**, जिला–**गाजीपुर** उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता / संस्थापक को कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक के पास रुपया 5500 / –(पांच हजार पाच सौ रुपया मात्र) की धन राशि है। जिसे न्यासकर्तागण / संस्थापकगण पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर

क्रमशः पृष्ठ..........2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120186

संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्रावृधिक, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रुप से कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट, **शान्ति शिक्षा संस्थान** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5500/–रु0(पांच हजार पाच सौ रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय साकिन ग्राम–**फरीदहाँ**, पोस्ट–**रामपुर**, परगना–**खानपुर**, जिला–**गाजीपुर** (उ0प्र0)में रहेगा एवं अधिक सुविधाजन स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

शान्ति शिक्षा संस्थान ट्रस्ट (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1982 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

क्रमशः पृष्ठ..........3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BK 120187

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उद्देश्य एवं नियमावली

1. ट्रस्ट के उद्देश्य–ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. यह बिना जाति, धर्म लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल,इटरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, बालिका विद्यालयों एवं महाविद्यालयो, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, पुस्तकालयों,वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों,अनुसंधानकेन्द्रों,छात्रावासों,कम्प्यूटरकेन्द्रों,निराश्रितों,सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रो, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्धन, संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत कराना आदि।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोउद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगल आदि का विकास करना।

क्रमशः पृष्ठ..........4

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BK 120188

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द, खेलकुद, युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।
10. बी0एड0, बी0टी0सी0, बी0पी0एड0, प्राविधिक शिक्षा, आई0टी0आई0, आई0आई0टी0, पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग फार्मेसी,नर्सट्रेनिंग,आपरेशन टेक्निशियन,लैब टेक्निशियन, फिजियों थेरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगो के लिए हास्पिटल, नर्सिग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फार्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

क्रमशः पृष्ठ..........5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120189

13. अन्धें, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक,प्रायोगिक कला,वाणिज्यिक,वैज्ञानिक, क्रीड़ा,मार्शलआर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी,उर्दू,कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

16. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण करना।

17. सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम अधिवेश, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैंठकें विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिटिंग आदि की शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों, आई0टी0आई0 कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित करना।

क्रमशः पृष्ठ..........6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120190

20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना।

21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना।

23. कृषि उपयोगी कार्य करना व उसका प्रचार–प्रसार करना।

24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना।

25. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

26. पुस्तक/पुस्तिकाएं, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित एवं विक्रय करना।

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।

28. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित करना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं करना।

क्रमशः पृष्ठ..........7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120191

29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे–सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधार करना।

31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना।

32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तिय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।

33. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेज, व्यवसायिक कालेजों एवं प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।

35. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी उत्पादित वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा,तालाबों का निर्माण,मछली पालन,पशुपालन तथा मधुमक्खी पालन आदि का प्रसार करना।

36. ट्रस्ट अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्र कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।

क्रमशः पृष्ठ..........8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 120192

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीटेक्निक का निर्माण करना।

39. किसानों के उत्थान हेतु एवं कृषि सुधार हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।

40. फल संरक्षण, आचार–मुरब्बा, औषधि खेती की जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये गाल का आयात–निर्यात करना।

न्याय मण्डल :–ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों का न्याय मण्डल की स्थापना की जा रही है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति न्यासी होगे–

1. श्री भुल्लन यादव पुत्र श्री शिव यादव ग्राम–बभनौली कला, पोस्ट–रामपुर, परगना–खानपुर, जिला–गाजीपुर। **(प्रबन्धक)**
2. श्री सौरभ यादव पुत्र श्री भुल्लन यादव ग्राम–बभनौली कला, पोस्ट–रामपुर, परगना–खानपुर, जिला–गाजीपुर। **(अध्यक्ष)**
3. श्रीमती शान्ती यादव पत्नी श्री भुल्लन यादव ग्राम–बभनौली कला, पोस्ट–रामपुर, परगना–खानपुर, जिला–गाजीपुर। **(कोषाध्यक्ष)**
4. श्री श्यामजी यादव पुत्र स्व0 सीता यादव ग्राम–बभनौली कला, पोस्ट–रामपुर, परगना–खानपुर, जिला–गाजीपुर। **(उपप्रबन्धक)**

क्रमशः पृष्ठ..........9

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120193

सदस्य–

1. श्री संतोष कुमार यादव पुत्र स्व0 रामराज यादव ग्राम–कोटिसा, पोस्ट–विक्रमपुर, जिला–गाजीपुर।

(सदस्य)

2. श्रीमती सरिता यादव पत्नी संतोष कुमार यादव ग्राम–कोटिसा, पोस्ट–विक्रमपुर, जिला–गाजीपुर।

(सदस्य)

3. गुड़िया यादव पुत्री श्री भुल्लन यादव ग्राम–बभनौली कला, पोस्ट–रामपुर, परगना–खानपुर, जिला–गाजीपुर।

(सदस्य)

4. पिंकी यादव पुत्री श्री भुल्लन यादव ग्राम–बभनौली कला, पोस्ट–रामपुर, परगना–खानपुर, जिला–गाजीपुर।

(सदस्य)

5. श्री उदय प्रताप यादव पुत्र स्व0 सुन्नर यादव ग्राम–गोपालापुर, पोस्ट–औड़िहार, जिला–गाजीपुर।

(सदस्य)

क्रमशः पृष्ठ..........10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120194

6. श्री सहेन्द्र कुमार पाल पुत्र श्री बेचन पाल ग्राम—बभनौली, पोस्ट—रामपुर, जिला—गाजीपुर।

(सदस्य)

न्यास मण्डल में हमेशा दस न्यासी रहेगे। न्यास मण्डल की संख्या न घटाई जा सकती है न बढ़ाई जा सकती है। किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को उसके स्थान पर न्यासी नियुक्त किया जायेगा यदि किसी न्यासी की बिना उत्तराधिकारी नियुक्त किये मृत्यु हो जाती है तो उसका सबसे वरिष्ठ पुत्र न्यास मण्डल का सदस्य होगा। यदि इन शर्तों में भी कोई व्यक्ति रिक्त पूर्ति के लिए उपलब्ध नही होता है तो न्यास मण्डल के न्यासी सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर किसी व्यक्ति को न्यासी नियुक्त कर रिक्त पूर्ति करेगें। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि नियुक्त व्यक्ति न्यास मण्डल के परिवार से ही सम्बन्धित हो। नियुक्त व्यक्ति को ये सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे जो अधिकार पूर्व न्यासीगण को प्राप्त है।

2— **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :—**

अध्यक्ष :— न्यास मण्डल व प्रबन्ध समिति की अध्यक्षता करना और न्यास मण्डल या प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर कभी भी मांग करने पर

क्रमशः पृष्ठ...........11

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120195

बैठक बुलाने के लिए प्रबन्धक को निर्देशित करना। विशेष परिस्थिति में तत्काल बैठक बुलाने की कार्यवाही करना तथा बिना न्यास मण्डल/प्रबन्ध समिति के स्वीकृति के पचास हजार रुपया खर्च करने का अधिकार होगा, इससे अधिक खर्च के लिए न्यास मण्डल/प्रबन्ध समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी। ट्रस्ट के धन को किस मद से खर्च किया गया, उसकी अगली बैठक जब भी हो स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। ट्रस्ट/ट्रस्टी द्वारा संचालित संस्थाओं के संचालन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति में चयन बोर्ड की अध्यक्षता करना एवं योग्य व्यक्ति का चयन करना अधिकार कतर्व्य हो।

<u>उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं कार्य</u> :–

ट्रस्ट के प्रतिदिन के कार्यो को करने के लिए एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष नियुक्त करेगा।

उपाध्यक्ष के वेतन–भत्ते सुविधाएं आदि न्यास मण्डल द्वारा तय किया जायेगा।

उपाध्यक्ष का कार्यकाल न्यास मण्डल के इच्छा पर निर्भर करेगा। न्यास मण्डल किसी भी समय बिना कोई कारण बताये पद से हटा सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर कतर्व्य और अधिकार हस्तान्तरित कर

क्रमशः पृष्ठ.........12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120196

सकता है। अध्यक्ष की अपुनरस्थिति में न्यास मण्डल की स्वीकृति पर सभी अधिकार एवं कार्य उपाध्यक्ष में निहित होगा।

प्रबन्धक :–

अध्यक्ष की अनुमति से न्यास मण्डल या प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाना और प्रत्येक कार्यवाही को स्वयं प्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही लिखेगा और लिखित कार्यवाही की जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी। ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं के आय–व्यय को अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत करना। कोषाध्यक्ष से आय–व्यय का लेखा–जोखा इकट्ठा करना, हिसाब लेना एवं और आय–व्यय के कागजातों पर स्वीकृति प्रदान करना।

ट्रस्ट/संस्था में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के समय चयन बोर्ड में बैठना एवं योग्य व्यक्ति का चयन करना। यदि प्रबन्धक चयन बोर्ड में भाग नहीं लेता है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति भी चयन बोर्ड में भाग लेगा। अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना तथा बिना न्यास मण्डल की अनुमति के तीन लाख रुपये खर्च करने का अधिकार होगा। प्रबन्धक ट्रस्ट से संचालित संस्था में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को नियमानुसार निलम्बित, निष्काषित एवं सेवा समाप्त कर सकता है किन्तु तीन माह के अन्दर न्यास

क्रमशः पृष्ठ..........13

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 120197

मण्डल/प्रबन्ध समिति से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। ट्रस्ट तथा ट्रस्ट से संचालित शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो की पूरी जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी। प्रबन्धक कार्य की सुगमता के लिए स्वयं किसी भी खाता का संचालन कर सकता है।

उप प्रबन्धक की नियुक्ति एवं कार्य :–

ट्रस्ट के प्रत्येक दिनं के कार्यो को करने के लिए एंव प्रबन्धक के कार्यो में सहयोग प्रदान करने हेतु न्यास मण्डल द्वारा एक उपप्रबन्धक नियुक्त किया जायेगा। जिसका कार्यकाल न्यास मण्डल के इच्छा पर निर्भर होगा। न्यास मण्डल बिना कोई कारण बताये उपप्रबन्धक को हटा सकता है और स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर उसके अधिकार कतर्व्य को हस्तान्तरित कर सकता है।

उपप्रबन्धक के वेतन भत्ते सुविधाएं आदि न्यास मण्डल द्वारा तय किया जायेगा।प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक के उपरोक्त सभी अधिकार उपप्रबन्धक में निर्गत होगा। किन्तु न्यास मण्डल में स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही प्रबन्धक के अनुपस्थिति में उपप्रबन्धक कार्य करेगा। उपप्रबन्धक का कार्य प्रबन्धक के कार्यो में यहयोग करना, आवश्यक कागजातो को तैयार करना, वार्षिक आय–व्यय के साथ ही प्रतिदिन प्रबन्धक के इच्छानुसार कार्यो को करना और आय–व्यय करना एवं संचालित संस्थाओं का देखभाल करना।

क्रमशः पृष्ठ..........14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120198

कोषाध्यक्ष :—

ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं का कोष किसी बैंक या डाक घर में रखा जा सकता है बैंक या डाक घर में खाता खोलने का कार्य एवं संचालन का कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा। ट्रस्ट के आय–व्यय तथा संचालित संस्थाओं का आय–व्यय का हिसाब तैयार करना प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष का कार्य होगा।

उपकोषाध्यक्ष :—

ट्रस्ट के प्रत्येक दिन के आय–व्यय के कार्यो को करने के लिए न्यास मण्डल द्वारा एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। जिसका कार्यकाल न्यास मण्डल के इच्छा पर निर्भर होगा। उप कोषाध्यक्ष आय–व्यय के कार्यो में कोषाध्यक्ष का सहयोग करेगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं आय–व्यय के हिसाब को तैयार करने में कोषाध्यक्ष के सहयोगी होगे और कोषाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य करेगे।

बैंक एकाउण्ट :—

ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं का खाता पृथक–पृथक नाम से संचालित किया

क्रमशः पृष्ठ..........15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120199

जा सकता है। किन्तु खाता खोलने से पूर्व न्यास मण्डल/प्रबन्ध समिति से स्वीकृति लेना आवश्यक है। खातो का संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा। प्रबन्धक कार्य की सुगमता के लिए स्वयं किसी भी खाता का संचालन कर सकता है। प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ट्रस्ट/ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के खातो का संचालन किया जा सकता है।

आडिट :–

ट्रस्ट या संचालित संस्था का लेखा–जोखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वर्ष को समाप्त होते ही किसी भी आडिटर या चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

अभिलेख :–

ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं के सभी प्रकार के अभिलेख प्रबन्धक के पास रखा जायेगा। जिन्हें आवश्यकतानुसार वे प्रस्तुत करेगें। इसके साथ ही अभिलेखों के लिखने का कार्य प्रबन्धक स्वयं करेगें या प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसपर प्रबन्धक की स्वीकृति हस्ताक्षर होगा।

क्रमशः पृष्ठ..........16

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
FIFTY RUPEES
रु.50
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120200

विधिक कार्यवाही :–

यदि ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो इस कार्य के लिए प्रवन्धक अधिकृत किये जाते है वे अधिवक्ता को नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों से सम्पर्क स्वयं करेगे या किसी व्यक्ति को स्वयं नामित करेगें।

सम्पत्ति :–

ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जोकि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त है। ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु प्रबन्धक अधिकृत है। प्रबन्धक चल–अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है। किराये पर लेना किराये पर देना बन्धक रखना आदि कार्य करेगें।

ट्रस्ट किसी से ऋण दान उपहार, भेट, अनुदान निधि से सम्मान पुरस्कार स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे भी सकता है। ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित्र कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पंनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

क्रमशः पृष्ठ..........17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120201

चल–अचल सम्पत्ति का प्रत्याभूत भाड़ा क्रय–विक्रय, बन्धक आदि का कार्य प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्ट के तथा ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं की सम्पत्ति का प्रतिदिन के देख–रेख का कार्य प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा और सम्पत्ति के सभी कागजात प्रबन्धक के पास होगा और चल–अचल सम्पत्ति पर प्रबन्धक का अधिकार होगा।ट्रस्ट या ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं की सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति मानी जायेगी। इसकी देखभाल का कार्य प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा। ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति पर किसी प्रकार की कार्यवाही सम्पन्न करने से पूर्व या सम्पन्न करने के एक माह के अन्दर न्यास मण्डल से स्वीकृति लेनाआवश्यक होगा

ट्रस्ट के नियमो में संशोधन :–

ट्रस्ट के नियमो में संशोधन न्यास मण्डल आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यक्रम, तकनीकी औद्योगिक, प्रौद्योगिक आदि संस्थाओं के संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है किन्तु वह इस डिड ऑफ ट्रस्ट महात्मा गौतम बुद्ध के उद्देश्यों एवं नियमावली के किसी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

क्रमशः पृष्ठ..........18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120202

मैं श्री भुल्लन यादव प्रबन्धक शान्ति शिक्षा संस्थान ट्रस्ट सत्यापित व उद्घोषित करता हूँ कि उक्त न्यास विलेख एवं उसगें सन्नहित उद्देश्य एवं नियमावली तथा वर्णित धनराशि मु0–5500/–रुपया मात्र एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़ कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

क्रमशः पृष्ठ..........19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 120203

दिनांक– 13.10.2016 ई0

मसविदाकर्ता :– सुरेश राम व. न. सैदपुर

टाईपकर्ता :–अजय कुमार

साक्षीगण :–

अनीत पाण्डेय / उमाशंकर पाण्डेय
सा० देवचन्दपुर पत्र० सैदपुर
गाजीपुर

ग. आनन्दकुमारसिंह पुत्र
श्री - बजरंगीसिंह
सा० इटहन [illegible] सैदपुर
जिला - गाजीपुर

श्री भुल्लन यादव

ट्रस्टी / प्रबन्धक

शान्ति शिक्षा संस्थान ट्रस्ट

ग्राम–फरीदहाँ, पोस्ट–खानपुर

जिला–गाजीपुर (उ0प्र0)

13-10-16

स्टाम्प विक्रय तिथि 6919
स्टाम्प विक्रय का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं0-23
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 20
से 31 मार्च 20 तक
तहसील सैदपुर-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
27 SEP 2016
गाजीपुर

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आज दिनांक **13/10/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **26**

पृष्ठ सं. **1** से **38** पर कमांक **71**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ए0 के0 तिवारी प्रभारी
उप निवन्धक सैदपुर
सैदपुर
13/10/2016

सत्यमेव जयते